न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2023 (अपील)

GCMS No. 2023/30

अनवान

1. श्रीमती लोगरी बाई पत्नी स्व. श्री भैरूलाल पालीवाल,
2. श्रीमती भगवती पुत्री स्व. श्री भैरूलाल पालीवाल निवासी पुनावली तहसील गोगुन्दा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री लेहरू उर्फ लेहरीलाल पिता स्व. श्री शंकरलाल पालीवाल, निवासी पुनावली तह. गोगुन्दा।
2. श्री धुलीराम पिता स्व. श्री शंकरलाल पालीवाल, निवासी पुनावली तह. गोगुन्दा।
3. श्री गोपाल पिता स्व. श्री पन्नालाल पालीवाल निवासी पुनावली तह. गोगुन्दा।
4. श्री नाथूलाल पिता स्व. श्री पन्नालाल पालीवाल निवासी पुनावली तह. गोगुन्दा।
5. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री पन्नालाल पालीवाल पत्नी श्री शंकरलाल पालीवाल निवासी सुथार मगरा, गोगुन्दा ।
6. श्रीमती मीरा पुत्री स्व. श्री पन्नालाल पालीवाल पत्नी श्री भगवतीलाल पालीवाल निवासी ढोल तह.गोगुन्दा ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री कमलेश चौहान , अपीलान्ट्स अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 796 उपतहसीलदार सायरा आदेश दिनांक 19.04.2023

* निर्णय *

दिनांक– **31-07-2024**

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुनावली तह. गोगुन्दा की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 की खाता संख्या 43, 171, 172, व 252 में स्थित आराजीयात भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश प्र.स. 29 / 20(2020 / 00271) दिनांक 31.03.2022 को दिये गये जिसके अनुसार उक्त खातो की भूमि जो रेकार्ड में पन्नालाल पिता अम्बालाल, लेहरीलाल, धुलीराम पिता शंकरलाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी के बजाय अम्बालाल पिता गंगाराम के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

किये गये थे जिसके अनुसरण में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 796 दिनांक 18.05.2022 से उक्त भूमि अम्बालाल पिता गंगाराम के नाम पर दर्ज हुई। उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा दिनांक 31.03.2022 को जो इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिये गये थे के उसके सन्दर्भ में रिव्यु का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत किया गया जिस प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 09.02.2023 को स्वीकार कर इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिनांक 31.03.2022 को अपास्त करते हुए धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम के आवेदन पत्र को अलग से दर्ज रजिस्टर कर आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निस्तारण करने के आदेश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र में दिये गये आदेश दिनांक 09.02.2023 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 84 रा.भू.रा.अधिनियम के तहत न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसके प्र.स. 2023/1165 होकर उक्त निगरानी विचाराधीन होते हुए तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सन्दर्भ में नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 19.04.2023 को खोलते हुए उक्त भूमि पुनः रेस्पोडेन्टगण व उनके पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये गये जिस आदेश से असन्तुष्ट व दुखी होकर अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिनांक 31.03.2022 के विरूद्ध रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 व 2 सपठित धारा 229, धारा 86 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.02.2023 से स्वीकार करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिनांक 31.03.2022 को अपास्त कर दिया गया जिस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्टगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के रिव्यु प्रार्थना पत्र में दिये गये आदेश दिनांक 09.02.2023 को अपीलाण्ट द्वारा चुनोती दे रखी है और उक्त विवाद विचाराधीन है फिर भी तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 19.04.2023 को खोलते हुए उक्त ज़मीन पुनः पन्नालाल पिता अम्बालाल व लेहरीलाल, धुलीराम पिता शंकरलाल ब्राहम्ण के नाम पर दर्ज करने के आदेश दे दिये गये जो तहसीलदार गोगुन्दा का आदेश गलत व विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जब न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और उसका अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में तहसीलदार गोगुन्दा को पूर्व इन्द्राज को बदलने का अधिकार नहीं था फिर भी तहसीलदार गोगुन्दा ने अपीलाण्ट को परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने की गरज से उक्त आदेश पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट से रिश्वत की मांग करने पर एसीबी की कार्यवाही करायी गई जिसमें एसडीएम कार्यालय के रीडर को गिरफ्तार किया जिसमें अन्य उच्चाधिकारी भी संदेह के घेरे में होने से अपीलाण्ट के विरूद्ध दुर्भावना कार्यवाही करते हुए जल्दबाजी में उक्त नामान्तरकरण खोला गया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

उपतहसीलदार सायरा के नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 19.04.2023 को अपास्त किया जावे व उक्त जमीन पुंनः अम्बालाल पिता गंगाराम(दादा प्रथा) के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराई जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना न्यायालय में अपील के खण्डन हेतु उपस्थित नही हुए। प्रकरण मे अपीलाण्ट व राजपैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिसकी पालना में नामान्तरकरण पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी के यहां रिव्यू प्रार्थना पत्र लगाया जो स्वीकार कर पूर्व के निर्णय को अपास्त किया। जिसकी निगरानी मा.राजस्व मण्डल में विचाराधीन होते हुए तहसीलदार द्वारा द्वेषतावश नामान्तरकण पारित कर दिया जिसे अपास्त किये जाने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

हमने अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। दस्तावेजात के अध्ययन से वादग्रस्त स्थित आराजीयात भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश प्र.स. 29/20(2020/00271) दिनांक 31.03.2022 को दिये गये जिसके अनुसार उक्त खातो की भूमि जो रेकार्ड में पन्नालाल पिता अम्बालाल, लेहरीलाल, धुलीराम पिता शंकरलाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी के बजाय अम्बालाल पिता गंगाराम के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे जिसकी पालना ना.स. 783 दिनांक 18.05.2022 से उक्त भूमि अम्बालाल पिता गंगाराम के नाम पर दर्ज हुई। इसी आदेश के सन्दर्भ में रिव्यु का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत किया गया जिस प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 09.02.2023 को स्वीकार कर इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिनांक 31.03.2022 को अपास्त करते हुए धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम के आवेदन पत्र को अलग से दर्ज रजिस्टर कर आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निस्तारण करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में वादग्रस्त आराजीयात के सन्दर्भ में नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 19.04.2023 को खोलते हुए उक्त भूमि पुनः रेस्पोडेन्टगण व उनके पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा जिस निर्णय के विरूद्ध नामान्तरकरण को पारित किया वह निर्णय अपास्त होने से उस नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 19.04.2023 से राजस्व रेकार्ड की पूर्व स्थिति को ही बहाल रखा है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

कोई त्रृटि नहीं की गई। अपीलाण्ट का तर्क है कि उन्होने राजस्व मण्डल में आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर रखी है, इसलिए दौराने अपील नामान्तरकरण को गलत खोला गया है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण पारित किया गया है, राजस्व मण्डल से अपील के निस्तारण पर निर्णय अनुसार पालना कर दी जावेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 19.04.2023 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है।

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)